

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)(से0नि0)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/14/1980

8/1/2023
जयपुर,दिनांक:

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप इन कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पद नाम	वर्तमान पदस्थान स्थान	जन्म तिथी	सेवानिवृत्ति तिथी
1	सुभाष चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, राजगढ़ (अलवर)	11.08.1963	31.08.2023

उक्त कार्मिकों को विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण-पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

विभाग के आदेश क्रमांक 082 दिनांक 03.01.2022 को जारी आदेश में क्रम संख्या 10 पर अंकित कार्मिक श्री मांगीलाल, वरिष्ठ सहायक परियोजना खारची (पाली) के नाम को विलोपित किया जाता है।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर,दिनांक: 6/1/2023

क्रमांक:एफ.1(3)(से.नि.)स्था/आईसीडीएस/14/1981-89
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. उप निदेशक, मबावि,
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
6. संबंधित कर्मचारी
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Nadeem Khan
Designation: Deputy Director
Date: 2023.01.05 15:51:03 IST
Reason: Approval